ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर जिला लाहौल स्पीति का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 2/2006 से 3/2015

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी–एफ(1)3/200 ई–गर्वनेस दिनांक 3–9–2015 के दृष्टिगत, ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर जिला लाहौल स्पीति के अवधि 2/2006 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.7.2015 से 18.8.2015 के दौरान उदयपुर में किया गया। ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा अपना कार्य दिनांक 17.2.2006 से आरम्भ किया तथा ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम XX1,1860 के अधीन पंजीकरण संख्या 1/L&S/2007 के अन्तर्गत हुआ।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 3/2006, 7/2006, 6/2007, 11/2008, 6/2009, 10/2010, 9/2011, 7/2012, 8/2013, व 6/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 2/2006, 11/2006, 7/2007, 12/2008, 8/2009, 11/2010, 3/2012, 9/2012, 7/2013 व 12/2014 का चयन किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के प्रभारी के पद पर कार्यरत रहेः–

Sr. no.	Name	Period
1	Sh. Shubh Karan Singh	18.11.04 to 20.11.06
2	Sh. Mahesh Bhardwaj	27.11.06 to 14.06.08
3	Sh. Vjnay Kumar	30.06.08 to 31.08.08
4	Sh. Anupam Kumar	03.09.08 to 19.10.08
5	Sh. Manoj Kumar	20.10.08 to 14.10.10
6	Sh. Sachin Kanwar	14.10.10 to 28.08.12
7	Sh. Nishant Thakur	26.08.12 to 18.04.13
8	Sh. R.K Thakur	24.04.13 to 19.06.14
9	Sh. Amit Guleria	20.06.14 to Till Date.

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क0 सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4	रोकड़ वही/लेखों का रखरखाव नियमानुसार न करवाया जाना	विवरण पैरे में दिया गया है।
2	9	राजकीय कोष में राशि कम जमा करवाना	0.29

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर के अवधि 2/2006 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹ 9000/– आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इस निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2015-130 दिनांक **19-08-15** द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना0) उदयपुर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर जिला लाहौल–स्पीति द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां/सेवाये भी प्रदान की जा रही है, जेसै कि उपमण्डल अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न ई0–प्रमाण पत्र, नायब तहसीलदार द्वारा जारी ई0–प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, भूमि का पर्चा इत्यादि जारी करना तथा इन सभी सेवाओं को प्रदेान करने पर प्राप्त आय का एक ही रोकड़ वही में ईन्द्राज किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री राहत कोष से प्राप्त राशि व अन्य स्त्रोतो से प्राप्त राशियों का भी उसी रोकड़ वही में ईन्द्राज किया जा रहा है तथा प्राप्त राशियों की S.B.I बैंक के बचत खाता संख्या 11464859225 में जमा करवाया गया है। उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से पूरा व्यय भी एक ही खाते से किया गया है। इस प्रकार ई–गर्वनेस सोसाईटी, उदयपुर द्वारा परिवहन गतिविधियों की वर्ष 2005–06 से 2014–15 तक अलग से रोकड़ वही नहीं लगाई है। तदानुसार सेसाईटी द्वारा समस्त गतिविधियों की रोकड़ वही में दर्ज आय व व्ययों की 2005–06 से 2014–15 की समांकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई है, जोकि **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है। दिनांक 8.2.2012 से तहसील कार्यालय उदयपुर की अलग में रोकड़ वही लगाई गई थी तथा उक्त दिनांक के बाद तहसील कार्यालय की आय व व्यय की ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर की राशियां, रोकड़ वही में दर्ज नहीं है।

(ख) ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा अपना कार्य आरम्भ करने के लिए जिलाधीश कार्यालय लाहौल–स्पीति से पत्र संख्या 33/SSC दिनांक 17.02.2006 के अन्तर्गत ₹15000 ऋण के रूप में

प्राप्त की गई तथा दिनांक 1.11.2006 को पत्र संख्या 2512 द्वारा यह राशि जिलाधीश कार्यालय लाहौल–स्पीति को वापिस कर दी गई।

(ग) ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि में परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित प्राप्त सेवा शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका महावार विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर भी दिया गया है।

क्र0सं0	अवधि	सेवा शुल्क
1.	2/06 से 3/06	1100
2.	4/06 से 3/07	15550
3.	4/07 से 3/08	8725
4.	4/08 से 3/09	7560
5.	4/09 से 3/10	14320
6.	4/10 से 3/11	14150
7.	4/11 से 3/12	15680
8.	4/12 से 3/13	14910
9.	4/13 से 3/14	20765
10.	4/14 से 3/15	22175
	कुल योग	**₹134935**

4 रोकड़ वही/लेखों का रखरखाव नियमानुसार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एपफ(1)3/2000–ई–गर्वनेस दिनांक 3.9.2005 की धारा 3(ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार रोकड़ वही तथा लेखों का निर्माण सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक वर्ष Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार किया गया है और न ही लेजर बनाए गए हैं तथा Balance sheet भी तैयार नहीं की गई है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा केन्द्रीय ईकाई जिला लाहौल–स्पीति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रोकड़ वही में प्रतिदिन प्राप्त आय व व्यय की प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई हैं तथा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय को भी देरी से जमा करवाया गया है, जबकि प्राप्त आय को उसी दिन या अगले कार्यदिवस को बैंक में जमा करवाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही की जांच में यह भी पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक विवरण भी नहीं दिया गया है।

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आय	प्राप्त आय की अवधि	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	दिनांक	बैंक में जमा करने की दिनांक
1	वाहन/सारथी	1100	16.03.06 से 31.3.06	3	13.04.06	13.04.06
2	वाहन/सारथी	2700	28.08.06 से 31.10.06	10	01.11.06	01.11.06
3	वाहन/सारथी	3250	29.01.07 से 26.06.07	12	27.06.07	27.06.07
4	वाहन/सारथी	2580	01.10.07 से 27.12.07	15	08.01.08	08.01.08
5	वाहन/सारथी	1705	03.12.07 से 31.05.08	17	04.06.08	04.06.08
6	वाहन/सारथी	1440	04.11.08 से 19.11.08	20	01.12.08	01.12.08
7	वाहन/सारथी	330	26.11.08 से 09.12.08	22	16.12.08	16.12.08
8	वाहन/सारथी	2480	01.06.09 से 29.06.09	29	03.07.09	03.07.09
9	वाहन/सारथी	1350	4.07.09 से 17.07.09	30	27.07.09	27.07.09
10	वाहन/सारथी	1640	03.04.10 से 27.04.10	39	04.05.10	04.05.10
11	वाहन/सारथी	3980	13.05.10 से 24.06.10	40	29.06.10	29.06.10
12	वाहन	3700	11.05.12 से 16.08.12	100	25.08.12	25.08.12
13	सारथी	2890	11.05.12 से 27.07.12	100	28.08.12	25.08.12
14	सारथी	4320	28.06.13 से 23.08.13	105	09.10.13	09.10.13
15	वाहन	4900	06.07.13 से 30.09.13	105	09.10.13	09.10.13
16	वाहन	1150	14.10.13 से 10.12.13	108	18.06.14	18.06.14
17	सारथी	2450	11.10.13 से 06.01.14	108	18.06.14	18.06.14
18	वाहन	1150	06.01.14 से 11.06.14	108	18.06.14	18.06.14
19	सारथी	3630	18.01.14 से 12.06.14	108	18.06.14	18.06.14
20	सारथी	6330	18.06.24 से 28.11.14	114	18.12.14	18.12.14
21	वाहन	6180	17.06.14 से 30.11.14	114	18.12.14	18.12.14
22	सारथी	570	02.12.14 से 17.12.14	117	31.12.14	31.12.14
23	वाहन	282	05.12.14 से 10.12.14	117	31.12.14	31.12.14

अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ वही का निर्माण ई–गर्वनेस सोसाईटी जिला लाहौल–स्पीति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए, जिसके नियम 6.4 के अनुसार रोकड़ वही में प्रत्येक माह में प्राप्त आय व नियम 7.6 के तहत माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के पश्चात अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ वही के शेष से मिलान सही ढ़ग से करने के साथ–साथ बैंक समाधान विवरणी भी समय–समय पर तैयार की जाए।

इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा प्रतिवर्ष Balance Sheet भी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

5 कुल आय का 75% भाग ही रोकड़ वही में दर्ज करने बारे

परिवहन विभाग की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि माह 6/2014 के बाद ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा प्राप्त कुल सेवा शुल्क के 75% भाग की राशि को ही रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा है तथा शेष 25% राशि को रोकड़ वही में दर्ज किए बिना ही राजकीय कोष में जमा करवाया गया है, जबकि नियमानुसार सम्पूर्ण प्राप्त आय को रोकड़ वही में दर्ज करने के पश्चात 25% राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना चाहिए था। रोकड़ वही में दर्ज 75% राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रं0सं0	प्राप्त आय की अवधि	प्राप्त कुल आय	रोकड़ वही में दर्ज राशि
1.	17.6.14 से 30.11.14	16690	12518
2.	1.12.14	140	105
3.	2.12.14 से 17.12.14	1135	852
4.	12.1.15 से 2.2.15	310	233

6 प्राप्त आय से नगद भुगतान करने के पश्चात शेष राशि को रोकड़ वही में दर्ज करने बारे

सेवा शुल्क से प्राप्त आय का रोकड़ वही से मिलान करने पर पाया गया कि निम्न विरणानुसार कुछ मामलों में क्रय किए गए सामानों/वस्तुओं का भुगतान भी प्राप्त आय से नगद में ही किया गया है तथा नगद भुगतान करने के पश्चात शेष राशि को ही रोकड़ वही में दर्ज किया गया है, जबकि क्रय किए गए सामानों व वस्तुओं का भुगतान ई–गर्वनेस सोसाईटी जिला लाहौल–स्पीति द्वारा निर्धारित फण्ड नियम 7.1 के अनुसार बैंकर चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित था।

क0 सं0	आय की अवधि	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	दिनांक	प्राप्त आय	व्यय की राशि	रोकड़ वही में दर्ज राशि
1	9.6.2006 से 14.7.2006	5	15.07.2006	2850	820	2030
2	17.6.2006 से 25.8.2006	7	25.08.2006	3000	929	2071

7 रोकड़ वही में ₹2375 का कम ईन्द्राज करने बारे

ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर की रोकड़ वही की जांच में पाया गया कि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 9 पर दिनांक 28.10.2006 को कुल योग में ₹2375 कम ली गई है तथा इस राशि को बैंक खाते में भी जमा नहीं करवाया गया है। अतः रोकड़ वही में ₹2375 का ईन्द्राज करके इस राशि को बैंक खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 दिनांक 25.3.2015 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क की ₹185 को रोकड़ वही में दर्ज न करने बारे

सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय की रोकड़ वही जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 25.3.2015 से 31.3.2015 के दौरान प्राप्त कुल सेवा शुल्क को ₹185 को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही में करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

9 राजकीय कोष में ₹29104 का कम जमा करवाया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी–एफ(1)3/2000–ई–गर्वनेस दिनांक 3.9.2005 के पैरा संख्या 3(बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। सोसाईटी द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 2/2006 से 3/2015 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹ 134935 की वसूली की गई थी तथा निम्नविवरणानुसार उक्त आय के 25% भाग की ₹33735 को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

क0 सं0	अवधि	प्राप्त सेना शुल्क	राजकीय कोष में जमा करने हेतु 25% भाग
1.	2/06 से 3/06	1100	275
2.	4/06 से 3/07	15550	3888
3.	7/07 से 3/08	8725	2181
4.	4/08 से 3/09	7560	1890
5.	4/09 से 3/10	14320	3580
6.	4/10 से 3/11	14150	3538
7.	4/11 से 3/12	15680	3920
8.	4/12 से 3/13	14910	3728
9.	4/13 से 3/14	20765	5119
10.	4/14 से 3/15	22175	5544
		₹134935	**कुल ₹33735**

परन्तु ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नविवरणानुसार केवल मात्र ₹4631 ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई।

क0सं0	चालान संख्या	दिनांक	राशि
1	007	18.12.14	4173
2	004	31.12.14	319
3	–	11.02.15	78
4	–	24.03.15	38
5	004	26.03.15	5
6	033	31.03.15	18
		योग	**₹4631**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार राजकीय कोष में ₹33735–₹4631=₹29104 कम जमा करवाई गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा कम जमा करवाई गई राशि को अविलम्ब राजकीय कोष में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वसूली गई सेवा शुल्क की राशियों को समय पर राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है, जबकि प्राप्त शुल्क की वसूली वाले दिन या अगले कार्यदिवस में राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार सोसाईटी द्वारा राजकीय कोष में राशियों को जमा करवाने से सम्बन्धित नियमों की भी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में वसूली गई राशियों को नियमानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 वास्तविक प्राप्तकर्त्ता से रसीदें प्राप्त न करने बारे

अंकेक्षण अवधि में अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि ई–गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर द्वारा अध्यक्ष ई–गर्वनेस सोसाईटी जिला लाहौल–स्पीति को निम्नविवरणानुसार विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया, परन्तु इस सन्दर्भ में रसीदें प्राप्त नहीं की गई तथा जांच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्त्ता से रसीद प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क0 सं0	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	चैक संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	13	166143	12.07.07	19227
2	26	166148	18.04.09	7000

3	27	166150	06.05.09	4473
4	28	166151	06.06.09	2810
5	30	166153	07.08.09	9813
6	31	166154	09.09.09	2900
7	32	166156	05.10.09	2500
8	33	166157	04.12.09	4700
9	35	166158	12.01.10	1530
10	40	166160	26.05.10	6000
11	42	933126	07.08.09	9000
12	44	933130	24.09.10	8000
13	57	933133	05.01.11	3800
14	76	933135	31.06.11	11000
15	83	933136	13.09.11	13036
16	98	933137	---	24000
17	101	933139	---	10000
18	104	933140	---	14779
19	115	933141	---	51550

11 स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार न करना

अंकेक्षण अवधि में स्टॉक रजिस्टरों की जांच में पाया गया कि ई–गर्वनेस सोसाईटी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। सोसाईटी द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने के पश्चात सामान का तिथिवार खपत विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि तिथिवार विवरण दर्ज किया जाना चाहिए था। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का निर्माण ई–गर्वनेस सोसाईटी जिला लाहौल–स्पीति द्वारा निर्धारित फण्ड नियम “9” के अनुसार तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 **विविधः–** ई0 गर्वनेस सोसाईटी (आर0एल0ए0) उदयपुर को केन्द्रीय ईकाई जिला लाहौल स्पीति जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गर्वनेस सोसाईटी (आर0एल0ए0) उदयपुर से केन्द्रीय ईकाई को समय–समय केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई लाहौल स्पीति स्थित केलांग से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणीः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्षः— लेखों के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(L.A.)H(2)(15)xi)52/2015 Vol-444-447, दिनांक 15.1.16,शिमला 09
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं सचिव ई—गर्वनेस सोसाईटी उदयपुर जिला लाहौल—स्पीति हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई—गर्वनेस सोसाईटी लाहौल—स्पीति (केलांग) हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171003
4. विशेष सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.